राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30/2022 अपील

1. नन्दा पुत्र दल्ला ओड़ निवासी– बनाम ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. मु0 प्यारी पत्नी स्व0 दल्ला ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. फुली बाई पुत्री स्व० दल्ला ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. बरजी पुत्री स्व० दल्ला ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. कमला पुत्री दल्ला ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

1. जयलाल पुत्र मांगू ओड़ निवासी – ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. मीठू पुत्र प्यारा ओड़ निवासी– ओड़ों का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. माधु पुत्र प्यारा ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. सोहन पुत्र प्यारा ओड़ आयु वयस्क निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. मदन पुत्र बंशी ओड़ निवासी– ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
6. महेन्द्र पुत्र श्री बंशी ओड़ निवासी ओड़ो का खेड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
7. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जरिये सचिव
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अपील विरूद्ध निर्णय सहायक भू प्रबंधक अधिकारी, भीलवाड़ा संबधित खसरा परिशोधन पत्र कम संख्या 17 तारीख फैसल दिनांक 12/07/1971

1. श्री मनोहर लाल बुनकर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 से 06 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी भीलवाडा के परिशोधन पत्र कम संख्या 17 दिनांकित 12.07.1971 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक गांगा पिता देवा ओड़ निवासी– ओडा का खेड़ा की विरासत का नामान्तरणकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता व 02 से 05 तक के दादाजी मांगू पिता गांगा ओड़ के नाम दर्ज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय हैं। मौजा ग्राम ओड़ो का खेड़ा पटवार हल्का हरणी कलाँ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित गत आराजी नम्बर 36 मीन, 38 मीन, 35 मीन, 106 वर्तमान आराजी नम्बर 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 306, 308, 309 खातेदार गांगा वल्द देवा ओड़ के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक गांगा पिता देवा ओड के विरासत की कोई जांच पडताल नहीं की जबकि मृतक गांगा पिता देवा ओड के दो पुत्र छीतर एंव रेस्पोडेन्ट के पिता व दादाजी मांगू थे। छीतर का देहान्त हो गया है, उसके एक लड़का दल्ला था,

तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित गत आराजी नम्बर 36 मीन, 38 मीन, 35 मीन, 106 वर्तमान आराजी नम्बर 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 306, 308, 309 खातेदार गांगा वल्द देवा ओड़ के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक गांगा पिता देवा ओड के विरासत की कोई जांच पडताल नहीं की जबकि मृतक गांगा पिता देवा ओड के दो पुत्र छीतर एंव रेस्पोडेन्ट के पिता व दादाजी मांगू थे। छीतर का देहान्त हो गया है, उसके एक लड़का दल्ला था, जिसका भी देहान्त हो चुका है एवं दल्ला के वारीसान हम अपीलांट है, जो मृतक गांगा पिता देवा ओड के प्रथम श्रेणी के वारीस है। जिससे मृतक गांगा पिता देवा ओड के विरासत में रेस्पोडेन्ट के साथ हम अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड मे 1/2 दर्ज होना चाहिए था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान न दे इस प्रकार निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पूछताछ नहीं की। संबंधित पटवारी संरपच से वारीसान की कोई रिपोर्ट नही ली सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से इस प्रकार का नामान्तरणकरण पारित कर दिया, जो न्याय एक नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। विरासत के मामलों में नामान्तरणकरण वारीसान के नाम पर ही खोला जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही देकर सिर्फ रेस्पोडेन्टस का नाम अंकित कर दिया जो गलत होकर निरस्त करने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर मृतक गांगा पिता देवा ओड की विरासत से में अपीलार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावे ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत वर्णित आराजियात मौजा ग्राम ओड़ो का खेड़ा पटवार हल्का हरणी कलॉ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित गत आराजी नम्बर 36 मीन, 38मीन, 35 मीन, 106 वर्तमान आराजी नम्बर 119, 120, 121, 122,123, 124, 128, 306,308,309 खातेदार गंगा वल्द देवा ओड़ के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड दर्ज होना व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता मांगू के नाम पर गलत तौर पर भूमि दर्ज होना स्वीकार है। उक्त नामान्तरणकरण गलत तौर पर खौला गया है व गंगा पुत्र देवा ओड़ की विरासत में अपीलार्थी के 1/2 हक हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 का 1/2 हक हिस्सा भी है। अपीलार्थीगण के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के साथ प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 06 का भी नाम दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन

किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने प्रश्नगत प्रकरण में गंगा पुत्र देवा ओड के सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना एवं अपीलार्थी को सुने बिना ही परिशोधन पत्र कम संख्या 17 दिनांकित 12.07.1971 पारित किया गया, जो विधिनुरूप नही होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। विपक्षी संख्या 02 से 06 के अधिवक्ता द्वारा भी अपने जवाब एवं बहस में अपीलार्थीगण के पक्ष में इकबालिया कथन व्यक्त किये हैं।

अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ग्राम ओडो का खेडा पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा द्वारा पारित परिशोधन पत्र कम संख्या 17 दिनांकित 12.07.1971 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में विधिक वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा